क्रम-संख्या-253

रजिस्ट्रेशन नम्बर-जी०-11/लाई०-
न्यूज पेपर/91/05-06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 17 सितम्बर, 2007

भाद्रपद 26, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-6

संख्या 2212/नौ-6-06-42मिस-95

लखनऊ, 17 सितम्बर, 2007

अधिसूचना

प० आ०-373

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 297 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984 में संशोधन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 300 की उप धारा (1) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या 1702/नौ-6-06-42मिस-95, दिनांक 26 जुलाई, 2007 में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2007

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2007 कही जायेगी।

(2) यह इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नये विनियम 5-क का बढ़ाया जाना

2-उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984 में, विनियम 5 के पश्चात निम्न विनियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"5–क एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2006 के अधीन पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का सूत्र नगर पालिका एवं नगर पंचायत के उन समस्त कर्मचारियों पर भी लागू होगा, जो दिनांक 13 अप्रैल, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त हुये थे। समस्त नगर पालिकाएं एवं नगर पंचायतें उन पेंशनधारकों, जो उक्त दिनांक से पूर्व सेवानिवृत्त हुए है, की पेंशन की पुनर्गणना उक्त दिनांक से करेगी और उन्हें सन् 2006 के उक्त विनियमावली का लाभ प्रदान करेंगी।

प्रतिबन्ध यह है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केवल दिनांक 13 अप्रैल, 2006 से ही, न कि उसके पूर्व के किसी दिनांक से, बकाया देय होगा।

आज्ञा से,
गोविन्दन नायर,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2212/IX-6-07-42Misc/95, dated September 17, 2007 for general information.

No. 2212/IX-6-07-42Misc/95

Dated Lucknow, September 17, 2007

IN exercise of the powers under sub-section (2) of section 297 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916), the Governor is pleased to make the following regulations with a view to amending the Uttar Pradesh Nagar Palika Non-Centralised Services Retirement Benefits Regulations, 1984, after their previous publication in Government notification no. 1702/IX-6-06-42Misc/95, dated July 26, 2007, as required under sub-section (1) of section 300 of the said Act.

THE UTTAR PRADESH NAGAR PALIKA NON-CENTRALISED SERVICES RETIREMENT BENEFITS (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2007

Short title and commencement

1. (1) These regulations may be called the Uttar Pradesh Nagar Palika Non-Centralised Services Retirement Benefits (Fourth Amendment) Regulations, 2007

(2) They Shall come into force with effect from date of publication of this notification in the *Gazette*.

Insertion of new regulation 5-A

2. In the Uttar Pradesh Nagar Palika Non-Centralised Services Retirement Benefits Regulations, 1984, *after* regulation 5, the following regulation shall be *inserted*, namely :—

"5-A. It is hereby declared that the pension and family pension formula under the Uttar Pradesh Nagar Palika Non-Centralised Services Retirement Benefits (Third Amendment) Regulations, 2006 shall also be applicable to all those employees of Nagar Palika and Nagar Panchayat who retired prior to April 13, 2006. All the Nagar Palikas and Nagar Panchayats shall re-calculate the pension of the pensioners, who retired prior to the said date and give them the benefit of the said regulations of 2006.

Provided that the retired employees shall be paid the arrears only from April 13, 2006, and not from any earlier date".

By order,
GOVINDAN NAIR,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 470 राजपत्र (हि0)–2007–(1200)–597 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफरोट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 6 सा0 नगर विकास–2007–(1201)–1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफरोट)।